(4)

Annx-3

कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ ।

आदेश क्रमांक 4/127-2000 सै. शि (1) दिनांक 21-9-2000

~~डी. वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उकुडा फतेहाबाद~~ को दस जमा दो शिक्षा प्रणाली में वर्ष 2000-2001 से विज्ञान संकाय में स्थाई/अस्थाई अनुमति निम्न शर्तो पर प्रदान की जाती है :-

1. विधालय के प्रबन्धक विधालय को अपने ही साधनो से चलायेगें और किसी प्रकार की वित्तीय सहायता व पद आदि की मांग नही करेगें ।

2. विधालय निदेशालय द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली हिदायतो का पालन करेगा ।

3. विधालय हरियाणा शिक्षा कोड की धारा 214 से 239 तक की सभी शर्तो पर पूर्ण रूप से पालन करेगा ।

4. छात्र/छात्राओ के लिए सभी आवश्यक सुविधाये उपलब्ध करवाई जानी है ।

5. इस अनुमति के साथ स्थाई मान्यता की अनुमति में लगी सभी शर्ते लागू होगी ।

संयुक्त निदेशक विधालय
कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा

पृ0क्र0 सम दिनांक 29-9-2000

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रबन्धक ~~डी. वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उकुडा फतेहाबाद~~
2. सचिव हरियाणा विधालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद को उनके यादी क्रमांक जी-I-2000/2021 दिनांक 31-7-2000 के सन्दर्भ में ।

27/9/00

अधीक्षक सैकेण्डरी शिक्षा
कृते निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ